



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

, प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]
No. 342]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 10, 2012/आषाढ़ 19, 1934
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 10, 2012/ASADHA 19, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 549(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 31 मार्च, 2009 अधिसूचना संख्या का.आ. 891(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में,—

(क) क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“5क. धारा 51”;

(ख) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“7क. धारा 63, 64 और धारा 65”।

[फा. सं. 1/7/2012-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 891(अ) तारीख 31 मार्च, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2012

G.S.R. 549(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification number S.O. 891(E), dated the 31st March, 2009, namely:—

2. In the said notification,—

- (a) after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
“5A. Section 51”;
- (b) after serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
“7A. Section 63, 64 and Section 65”.

[F.No. 1/7/2012-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note:— The notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 891 (E), dated the 31st March, 2009.